यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त, (क.नि.) खण्ड-2, राज्य कर, कोट्द्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त, (क.नि.) खण्ड-2, राज्य कर, कोट्द्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्रीमती रेखा एवं श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.03.2019 से 25.03.2019 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री निखिल कु. गोस्वामी व.ले.प, श्री प्रवीण कुमार, बी.बी.एम.त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.02.2018 से 16.02.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी जिसमे राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक लेखा अभिलेखो का निरीक्षण किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** राजस्व संग्रह एवं जी.एस.टी. में पंजीकरण, कोटद्वार मुख्य बाजार से बाहर का क्षेत्र एवं सतपुली, धुमाकोट एवं दुगड्डा का क्षेत्र
2. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (**₹लाख मे)**
2015-16	903.27
2016-17	888.55
2017-18	490.88

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

है:(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	स्थापना		गैर स्थापना	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		आवंटन	व्यय			
		शून्य				

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
			शून्य		

(iii)इकाई को बजट आवंटन .... द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त, (क.नि.) खण्ड-2, राज्य कर, कोट्द्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: ....-....... को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ....-...... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो "ब"

प्रस्तर.01:–देयकर कम जमा किया जाना ₹ 4.55 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 34 (4) के अनुसार स्वीकृत रूप के देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह) की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0).**खण्ड-2** राज्यकर कोटद्वार की माह 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलखों की जॉच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित व्यौहारियों के कर निर्धारण वादों को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25(क) के अन्तर्गत स्वतःकर निर्धारण की अनुमति प्रदान की गयी थी। व्यौहारियों द्वारा देय कर का चालानों से मिलान के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार देय कर के विरुध कर की धनराशि कम जमा की गयी:–

क्र सं0	व्यौहारी का नाम पता आदि	देयकर रुपये में	जमा कर रुपये में	कम जमा कर रुपये में
1.	सर्वश्री अम्बिका इन्टरप्राइजेज कोटद्वार वर्ष 2015–16 टिन.05013380496	8000	8000	शून्य
		20,000	20,000	शून्य
		15,000	15,000	शून्य
		1,92,420	शून्य	1,92,420
2.	सर्वश्री हिमालयन बिल्डिंग मैटेरियल कौडिया कोटद्वार वष 2015–16 टिन. 05008006405	6500	6500	शून्य
		5500	5500	शून्य
		7000	शून्य	7,000
		10,100	10,100	शून्य

इस प्रकार ₹ 1,99,420.00(1,92,420+7000) देय कर कम जमा किया गया।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यौहारियों की कर निर्धारण पत्रावली की जॉच में पाया गया कि व्यौहारियों पर निर्धारित कर के सापेक्ष कम कर जमा किया गयाः–

क्रम सं0	व्यौहारी का नाम पता तथा कर निर्धारण वर्ष	निर्धारित कर जो देय था रुपये में	जमा किया गया कर रुपये में	**संगत वर्ष प्राप्त आईटीसी रुपये में**	कम दिया गया कर रुपये में
1.	सर्वश्री सिद्वबली इनफो0 टिन 05002895474 कोटद्वार 2014–15	37,470	शून्य	**30,826**	6,644
2.	सर्वश्री पापनाइ इलैक्ट्रिॉनिक्स टिन05013123640 कोटद्वार 2014–15	7,12,066	6,294	**6,18,208**	87,564
3.	सर्वश्री रस्तोगी एण्टरप्राईजे 2015–16	6,29,688	शून्य	5,17,369	1,12,319
4.	सर्वश्री त्रिलोक रेस्टोरेंट 2015–16	34,269	4,015	**11,897**	18,347
5.	सर्वश्री कुकशाल हार्डवेयर 2015–16	5,56,281	37,491	**5,10,627**	8,163
6.	सर्वश्री तुलाराम एण्टरप्राईजे 2015–16	2,15,389	73,236	**1,34,692**	7,461
7.	सर्वश्री रावत एजेंसी 2015–16	5,38,706	26,675	**4,97,550**	14,481
				योग	2,54,979

इस प्रकार ₹ 2,54,979 देय कर कम अदा किया गया।

अतः कुल देय कर ₹ 4,54,399 (1,99,420+2,54,979)कम जमा किया गया, नियमानुसार इस पर ब्याज भी देय होगा। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पत्रावली की जॉच कर कार्यवाही की जायेगी। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

STAN

STAN 01:—कम दर से समाधान राशि निर्धारण करने के कारण राजस्व क्षति ₹ 4273/-

वित अनुभाग—8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या—330/2012/14/ XXVII (8) 06दिनॉक 17 अप्रैल 2012 के पैरा (4) (क)के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के पॉच प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया गया हो, उसमें उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि के चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

वित अनुभाग—8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या—627/2012/14/ XXVII (8)06दिनॉक 03 जुलाई 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगें उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, **अतः** आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) **खण्ड-2** राज्य कर कोटद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री संजय गुप्ता कान्टेक्टर कोटद्वार टिन 05002900228 एक सिविल संविदाकार के रुप में विभाग में पंजीकृत है। व्यौहारी द्वारा वर्ष 2013—14 समाधान विकल्प अपनाया गया है। कर निर्धारण वाद के अनुसार कुल भुगतान ₹ 20,34,855.00 पर दो प्रतिशत की दर से ₹ 40697.00 समाधान की धनराशि निर्धारित की गयी थी।

जबकि उपरोक्त नियम के आलोक में निम्नवत कम समाधान राशि का निर्धारण किया गयाः—

संविदा सं0 तथा संविदा वर्ष	भुगतान की धनराशि रु0 में	निर्धारित समाधान की राशि चार प्रतिशत की दर से रु. में	ली गयी समाधान की धनराशि रु0 में	कम ली गयी समाधान की धनराशि रु0में
CBH14/AEHJIII/2012-13	2,13,665	8547	4273	4273

इस प्रकार ₹ 4273.00 कम समाधान की राशि लिये जाने के कारणों के संबन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी कि पत्रावली की जॉच कर अनुपालन आख्या प्रेषित की जायेगी। अतः ₹ 4273 कम समाधान की राशि लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग 2 ब

प्रस्तर02 -स्वत: सूची में प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार किया जाना।

आयुक्त राज्य कर,उत्तराखंड (विधि अनुभाग),देहरादून ,दिनांक-13 जुलाई 2017 के पत्रांक 2923/आयु॰रा॰क॰उत्तराखंड /रा॰कार/विधि-अनु॰/2017-18/देहरादून द्वारा उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम,2005 की धारा 25 क में संशोधन करते हुए वर्ष 2013-14 ,वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के अनिस्तारित वाद उक्त धारा में विनिर्दिष्ट उपबंधों के आधार पर स्वत: निर्धारित किए जाने के संबंध में प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत -'आयरन -स्टील,खाद्य तेल,सीमेंट,मेंथा एवं मेंथा उत्पाद,पान मसाला,मार्बल स्टोन,सिरेमिक टाइल्स के ट्रेडर्स या विनिर्माताओं तथा ईंट,रेट,बजरी,बोल्डर्स,आर॰बी॰एम॰ ,ग्रिट,क्रसड़ स्टोन ,स्टोन ब्लास्ट ,गिट्टी,कंकड़,स्टोन डस्ट में संव्यवहार करने वाले व्यापारियों को स्वत: निर्धारण से बाहर रखा गया है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-खण्ड-2, कोटद्वार के माह 04/17 से माह 03/18 तक के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्न व्यापारियों द्वारा प्रतिबंधित वस्तु का व्यापार व्यापक पैमाने पर किया जाना पाया गया-

क्रम संख्य	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	प्रतिबंधित वस्तु का नाम
1	सर्वश्री जे पी ट्रेडर्स	2015-16	सीमेंट
2	सर्वश्री राजेन्द्र ट्रेडर्स	2015-16	सीमेंट
3	सर्वश्री ओम ट्रेडर्स	2015-16	सीमेंट

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि "कर निर्धारण पत्रवालियों के आलोक में व्यापारियों को नोटिस देकर परिपत्र का व्यापक अध्ययन कर अनुपालन आख्या प्रेषित की जाएगी।

अत : प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-144/2017-18		01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त, (क.नि.) खण्ड-2, राज्य कर, कोट्द्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
   डी
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री संजीव कुमार त्रिपाठी	सहायक आयुक्त (01.04.17 से 31.03.2018)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त, (क.नि.) खण्ड-2, राज्य कर, कोट्द्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखा परीक्षा)-उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

व0लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र